न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03 / 2018 अपील

श्री किशनलाल पुत्र बजरंग लाल मीणा निवासी ऊँचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 278 / 2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017

उपस्थित –
श्री शिव कुमार चावरिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से उपस्थित नहीं
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 16.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 278 / 2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के खिलाफ दिनांक 23.01.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी गलत रूप से घोषित किया हैं तथा अपने निर्णय में यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया कि अपीलाण्ट को किस मुकदमा नम्बर और किस वर्ष में बेदखल किया गया है। इसलिए अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आती है। हल्का पटवारी ऊँचा ने मौके पर जाकर कोई जांच नहीं की है। ऑफिस में बैठकर उक्त अतिक्रमण रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है। जबकि अपीलाण्ट द्वारा मौके पर कोई कब्जा / अतिक्रमण नहीं कर रखा है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो पेनल्टी कायम की गयी थी उसे अपीलाण्ट द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

कर ली है। अपीलान्ट के छोटे छोटे बच्चे हैं और अपीलाण्ट को 15 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। यदि अपीलाण्ट को जेल भेज दिया जायेगा तो अपीलाण्ट व उसके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा । अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की जानकारी थानाधिकारी हनुमान नगर द्वारा दिनांक 11.01.2018 को उक्त निर्णय की जानकारी देने पर हुयी । उक्त अपील पेश करने में जानबूझकर अपीलाण्ट द्वारा कोई देरी नहीं की गयी हैं । फिर भी अपील मियाद बाहर कण्डोन करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय दिनांक 10.10.2017 को निरस्त फरमाई जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकाड़ तलब किया गया।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री किशन लाल पिता बजरंग मीणा निवासी ऊँचा के द्वारा ग्राम ऊँचा के आराजी नं. 1645/841 रकबा 3.00 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 278/2017 दर्ज कर धारा 91 नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर किशनलाल पिता बजरंग लाल मीणा द्वारा विगत वर्ष में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 15 दिवस के सिविल कारावास एवं शास्ति 150/–रू. से दिनांक 10.10.2017 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। उक्त अतिक्रमण आराजी नं. 1645/841 बिलानाम सरकार किस्म चारागाह की होकर आवंटन नियमन योग्य भी नहीं है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली में प्रस्तुत अपील मेमों एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । प्रकरण की विषय वस्तु को देखते हुये अन्तिम विनिश्चय करने से पूर्व गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझतें है।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि वर्तमान में उक्त आराजी नं. 1645/841 रकबा 3.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड है । अतिक्रमी का उक्त अतिचार पश्चातवर्ती होकर विगत वर्ष भी अतिक्रमी ने उक्त भूमि पर अतिचार किया। जिसकी मिसल कायम कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने एवं शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली नामा प्रस्तुत कर भौतिक रूप से बेदखल किया परन्तु अतिक्रमी ने उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण कर लिया । उक्त आराजी किस्म चारागाह भूमि है । अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 1645/841 रकबा 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 150/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

ग्राम ऊँचा तहसील जहाजपुर के आराजी नं. 1645/841 किस्म चरागाह पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त श्रेणी की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने से अपीलार्थी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 278/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.10.2017 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/5/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा